UPBG010065502024

CRIMINAL APPEAL/93/2024

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०–1, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा, एच.जे.एस.

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी।

................अपीलार्थी।

बनाम

1. कांस्टेबल 252 नागरिक पुलिस प्रमोद कुमार राणा।
2. कपिल देव शर्मा (प्रधानाचार्य इण्टरमीडिएट कॉलिज, धनौरा सिल्वरनगर, थाना बिनौली, जिला बागपत।

   निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वरनगर, थाना बिनौली, जिला बागपत।

.............विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०– 127/2012
वाद सं०–1302/2016
धारा–420, 468, 471 भा०दं०सं०
थाना–बिनौली, जिला बागपत।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील न्यायालय विद्वान सिविल जज, जूनियर डिविजन/त्वरित, बागपत द्वारा वाद संख्या–1302/2016, राज्य बनाम कां० प्रमोद कुमार राणा आदि तथा वाद सं०–1303/2016, राज्य बनाम कपिल देव शर्मा, मु०अ०सं०–127/2012, अं०धारा–420, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना बिनौली, जिला बागपत में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 27–09–2024, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अतुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सदर बाजार, मेरठ द्वारा थाना बिनौली पर दिनांक 22–03–2012 को इस आशय की टाईपशुदा तहरीर दी गयी कि "कार्यालय क्षेत्राधिकारी सदर बाजार, जनपद मेरठ पत्र सं०–एसटी– पीई–2/11 दिनांक जून 2011 सेवा में पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ, कृपया आप अपने पत्र संख्या –25/11 दिनांक 18.05.2011 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो शिकायतकर्ता श्री राज सिंह, शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.03.2011 जो प्रमोद कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह राणा निवासी ग्राम डाकखाना धनौरा सिल्वरनगर, जनपद बागपत के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती होने के सम्बन्ध प्रारंभिक जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है, आरोप

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.07.01 11:32:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संलग्न प्रार्थना पत्र में प्रमोद कुमार राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह राणा ने जो कागज भर्ती के समय दाखिल किये है, उसमें उसने कक्षा 10 की परीक्षा सन 1985 में अनुक्रमांक संख्या 171797 संस्थागत रूप से इंटरमीडिएट कालिज धनौरा सिल्वरनगर जनपद बागपत से अनुतीर्ण की थी। इसके बाद उसने आजतक कही परीक्षा नहीं दी, न ही कोई परीक्षा पास की, केवल फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार को धोखा देकर सिपाही की नौकरी प्राप्त कर जैसे कतिपय आरोप अंकित किये गये है। प्रारंचिक जांच का विवरण– प्रारंभिक जाच के दौरान संबंधित से पूछताछ करते हुए अंकित किये गये कथन एवं अभिलेखों के अवलोकन से वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है–बयान श्री राज सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह जाट निवासी धनौरा सिल्वरनगर, थाना बिनौली, जनपद बागपत ने पूछने पर बताया कि मैं उक्त पते का रहने वाला हूँ तथा प्राईवेट नौकरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा हूॅ। प्रमोद कुमार राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी धनौरा सिल्वर नगर, थाना बिनौली बागपत के रहने वाले हैं और पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं और मेरे पड़ोसी है। मेरी प्रमोद कुमार से कोई रंजिश नहीं है। मेरे द्वारा प्रमोद कुमार राणा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गयी है। मेरे नाम से किसी व्यक्ति द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र दिया गया है। आपके पास जो प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनवाये गये है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। बयान का०–292 ना०पु०प्रमोद कुमार राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह ने पूछने पर बताया कि मैं उक्त पते का रहने वाला हूँ और थाना खरखौदा में आरक्षी के पद पर नियुक्त हूँ। मैंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनौरा सिल्वरनगर में हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष 1985 में उक्त स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें गणित में 25 नम्बर तथा सामाजिक विज्ञान में 30 नम्बर आये थे और मुझे फेल कर दिया था। फेल होने पर मेरे द्वारा अपने दोनों विषयों की स्कूटनी करायी थी तो गणित में मुझे 8 नंबर का ग्रेस मिल गया था तथा सामाजिक विज्ञान की दोबारा स्कूटनी करायी, जिसमें मुझे 33 अंक प्राप्त हुए थे और मैं पास हो गया था। मेरे गांव के राज सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह से पुरानी रंजिश चल रही है जिसका नाम लिखकर कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहा है, जब कि मैंने वर्ष 1985 में अनुक्रमांक नंबर 171797 पर हाई स्कूल की परीक्षा स्कूटनी के द्वारा पास की थी। हाई स्कूल के अंक पत्र की छाया प्रति दाखिल कर रहा हूँ। बयान किया कि देव शर्मा पुत्र श्री बहमानंद शर्मा निवासी संजीवनी हॉस्पिटल अग्रवाल टटीरी, जिला बागपत ने बयान किया कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ। मैंने वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1998 तक इंटर मीडिएट कॉलिज धनौरा सिल्वरनगर नगर, थाना बिनौली जिला बागपत में नौकरी की है। मैं 23 अक्टूबर 1985 से 11 अगस्त 1987 तक उक्त कॉलिज में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्क रहा था। जून 1998 में सेवा निवृत हो चुका हूँ। प्रमोद कुमार राणा पुत्र भोपाल सिंह राणा निवासी ग्राम धनौरासिल्वर नगर थाना बिनौली, जनपद बागपत में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की हाईस्कूल की परीक्षा 1985 में छात्र अनुक्रमांक 171797 पर दी थी जिसका परिणाम घोषित होने पर प्रमोद कुमार राणा उपरोक्त को अनुतीर्ण घोषित किया गया था। दिनांक 26 07.1986 को स्कूल के कार्यालय में नियुक्त बाबू जगदेव सिंह वर्मा पुत्र पृथ्वी सिंह ने प्रमोद राणा उपरोक्त के साथ आकर एक बंद लिफाफा प्राधानाचार्य के नाम संबोधित था, लाकर मुझे दिया। मैंने उसे खोलकर देखा

तो बुक संख्या 535 क्रमांक 0059723 परीक्षार्थी प्रमोद कुमार राणा का संशोधित सननिरिक्षा परीक्षाफल हाईस्कूल 1985 अनुक्रमांक 171797 निकाला जिसमें प्रमोद कुमार राणा को उत्तीर्ण स्कूटनी के उपरान्त बोर्ड के पत्रांक संख्या परीक्षा हाई स्कूल दिनांक 24.05.1986 के द्वारा सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में तीन अंक बढ़ाने के कारण गणित विषय में कृपांक ग्रेस नबर का प्रदान करते हुए इन्हें उतीर्ण घोषित किया गया। मेरे द्वारा इसी आधार पर गजट में भी प्रविष्टि की गयी तथा संस्था द्वारा प्रदत्त संक्रमण प्रमाण पत्र में भी प्रमोद कुमार को सन्निरिक्षा के उपरान्त घोषित दर्शाया गया था। पत्र में अंकित निर्देशानुसार एक प्रति मूल रूप में प्रमोद राणा को दिनांक 26.07 1986 को उपलब्ध करायी गयी थी। द्वितीय प्रति को कार्यालय में रखा गया था। स्कूल कार्यालय में नियुक्त बाबू जगदेव सिंह वर्मा ही स्कूल से संबन्धित सभी प्रकार की डाक लाकर स्कूल में देते थे। इस लिफाफे को भी जगदेव सिंह वर्मा द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, मेरठ से लाना मुझे बताया था। लिपिक जगदेव सिंह वर्मा की मृत्यु फरवरी 2011 में हो चुकी है। मैंने क्रमांक नंबर मोहर आदि को देखकर स्वं लिपिक जगदेव सिंह वर्मा पर विश्वास करते हुए कार्यालय अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित की तथा एक प्रति प्रमोद कुमार राणा को उपलब्ध करायी गयी थी लेकिन अब मुझे जानकारी हुई है कि प्रमोद कुमार राणा माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अभिलेखानुसार सन्निरिक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण नहीं हुआ था। संनिरिक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में पत्र परिषद कार्यालय के द्वारा पत्रांक (परीक्षा) हाई स्कूल दिनांक 25.05.1986 को निर्गत नहीं किया गया। चूंकि आपके कार्यालय में आने के बाद मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर लिया है। मेरे द्वारा इस प्रकरण में प्राप्त पत्रों के अनुसार व स्कूल लिपिक पर विश्वास करके ही कार्यवाही की गयी थी। प्रश्न– आपके द्वारा प्रपत्र अभिलेखों को माध्यमिक शिक्षा परिषद से सत्यापित क्यों नहीं कराया गया? उत्तर– स्कूल से संबंधित सभी प्रकार की डाक लिपिक जगदेव सिंह वर्मा द्वारा लाकर दाखिल की जाती थी। आज तक कभी पूर्व में ऐसा नहीं हुआ था इस कारण मेरे द्वारा सत्यापित कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। अभिलेखीय समीक्षा–प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित से पूछताछ करते हुए अंकित किये गये कथन पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के विश्लेषण से विदित हुआ कि श्री राज सिहं नामक व्यक्ति पता अज्ञात द्वारा पुलिस उप–महानिरीक्षक महोदय मेरठ को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रमोद कुमार राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह राणा नि–ग्राम धनौरासिल्वर नगर, थाना बिनौली, बागपत, उ०प्र० द्वारा इंटरमीडिएट कालिज धनौरासिल्वर नगर से वर्ष 1985 में अनुक्रमांक न०–171797 से संस्थागत रूप से हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वह पास नहीं हुआ था और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार को धोखा देकर सिपाही की नौकरी प्राप्त कर ली। श्री राज सिंह उपरोक्त की शिकायत पर पत्रवली संख्या ज–25/11 दिनांक 18.03.2011 को प्रचलित होकर प्रारंभिक जांच मुझ क्षेत्राधिकारी को सुपुर्द हुई। प्रारंभिक जांच के दौरान श्री राज सिंह उपरोक्त द्वारा कोई प्रार्थना पत्र देना नहीं बताया। का० प्रमोद कुमार राणा द्वारा अपने कथन में वर्ष 1985 में माध्यमिक विद्यालय धनौरासिल्वर नगर से अनुक्रमांक 171797 पर हाईस्कूल को परीक्षा देना जिसमें फेल हो जाने पर गणित व सामाजिक विज्ञान की स्कूटनी कराने पर गणित विषयक में 08 नंबर का ग्रेस मिलने

तथा सामाजिक विज्ञान में 33 नंबर पर स्कूटनी के द्वारा पास होना बताया। क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी तो प्रमोद कुमार राणा द्वारा अनुक्रमांक 1717974 पर हाई स्कूल की परीक्षा में परिषद के अभिलेखानुसार कल 600 अंकों में से 256 अंक पास होने पर फेल होना अंकित किया है। प्रधानाचार्य इण्टरमीडिएट कालेज धनौरा सिल्वरनगर बागपत से प्राप्त आख्या के अनुसार उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28–03–2011 में प्रमोद कुमार राणा को स्कूटनी के उपरांत बोर्ड के पत्रांक संख्या (परीक्षा) हाई स्कूल दिनाक 24.05.1986 के द्वारा सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र में 3 अंक बढ़ने के कारण गणित विषय में ग्रेस प्रदान करने हुए उत्तीर्ण घोषित किया गया जिसकी प्रविष्टि तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री कपिल देव शर्मा गजट में की गयी संस्था द्वारा प्रदत संक्रमण प्रमाण पत्र में ही इन्हें सन्निरिक्षा के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित दर्शाया गया है। प्रधानाचार्य इंटर कालिज धनौरासिल्वर नगर से प्राप्त आख्या को संलग्नकर क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी तो उनके द्वारा अपने पत्रांक क्षे०का०मा०शि०पा०/मेरठ अभिलेख/364 दिनांक 23.04.2011 के द्वारा अवगत कराया कि अनुक्रमांक 171797 प्रमोद कुमार राणा परिषद अभिलेखानुसार सनिनरीक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ है और ना ही परिषद कार्यालय के द्वारा पत्रांक (परीक्षा) हाई स्कूल दिनांक 25.05.1986 निर्गत किया गया है और उक्त वर्णित पत्र को फर्जी होना तथा प्रकरण में संबंधित छात्र व संबंधित विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य की संलिप्तता प्रतीत होना अंकित किया है। तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री कपिल देव शर्मा द्वारा उक्त स्कूटनी का लिफाफा स्कूल के लिपिक द्वारा उन्हें देना बताया जिसकी, जिसके आधार पर प्रविष्टि अभिलेखों में करना बताया। साथ ही यह भी बताया कि लिपिक जगदेव वर्मा की माह फरवरी 2011 में मृत्यु हो चुकी है। प्राप्त स्कूटनी के उत्तीर्ण अभिलेख को माध्यमिक शिक्षा परिषद से सत्यापित कराने के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो बताया कि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। संपूर्ण प्रकरण की जांच से का०प्रमोद कुमार राणा को हाई स्कूल की परीक्षा में फेल होना पाया गया है। निष्कर्ष– का० प्रमोद कुमार के संबंध में प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट कालिज धनौरासिल्वर नगर, बागपत से थाना लालकुर्ती के माध्यम से आख्या प्राप्त की गय। प्रधानाचार्य द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.03.2011 में अंकित किया है कि मा०शि०परिषद हाई स्कूल परीक्षा सन् 1985 में प्रमोद कुमार राणा उक्त छात्र अनुक्रमांक 171797 परीक्षा में सम्मलित हुआ था जिसका परिणाम घोषित होने पर इन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था, किन्तु सन्निरिक्षा (स्कूटनी) के उपरान्त बोर्ड के पत्राक संख्या (परीक्षा) हाई स्कूल दिनांक 24.05.1986 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र में तीन अंक बढ़ने के कारण इन्हें गणित विषयक में कृपांक (ग्रेस) प्रदान करते हुए इन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया जिसकी प्रविष्टि तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री कपिल देव शर्मा द्वारा गजट में की गयी है। संस्था द्वारा प्रदत्त संक्रमण प्रमाण पत्र में भी इन्हें सन्निरिक्षा के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री कपिल देव शर्मा के बयान से भी होती है। कां०–292 ना०पु०प्रमोद कुमार राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह राणा निश्याम धनौरासिल्वर नगर थाना बिनौली बागपत के संबंध में प्रधानाचार्य इंटर मीडिएट कालेज धनौरासिल्वर नगर से प्राप्त आख्या की छाया प्रति क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय

कार्यालय माध्यमिक उ०प्र०मेरठ को भेजकर आख्या प्राप्त की गयी तो क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ द्वारा अपने पत्रांक क्षे०का०मा०शि०पा०/मेरठ/अभिलेख / 364 दिनांक 13–04–2011 के द्वारा अवगत कराया कि प्रशनगत छात्र परिषद अभिलेखानुसार सन्निरिक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण नहीं हुआ है। सन्निरिक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में पत्र, परिषद कार्यालय के द्वारा पत्रांक (परीक्षा) हाई स्कूल दिनं शक 25.05.1986 निर्गत नहीं किया गया। क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के पत्रांक क्षे०का०मा०शि०प० /मेरठ / अभिलेख / 364 दिनांक 23.04.2011 के द्वारा का० 292 ना०पु० प्रमोद कुमार राणा अभिलेखानुसार हाई स्कूल परीक्षा में पास नहीं पाया गया है। जिसके लिए का० 252 नागरिक पुलिस प्रमोद कुमार राणा दोषी है।"

3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर अभियुक्तगण कां० प्रमोद कुमार राणा व कपिलदेव शर्मा के विरूद्ध धारा–420, 468, 471 भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. विवेचक ने दौरान विवेचना आवश्यक साक्ष्य संकलित किये तथा विवेचना सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्तगण कां० प्रमोद कुमार राणा व कपिलदेव शर्मा के विरूद्ध मु.अ.सं. 127/2012, धारा–420, 468, 471 भा.दं.सं. के अपराध के विचारण हेतु पृथक–पृथक आरोपपत्र विद्वान अवर न्यायालय में प्रेषित किये गये।

5. आरोपपत्र आने पर उन पर प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी–अपनी जमानत करायी। अभियुक्त कां० 292 प्रमोद कुमार के विरूद्ध अपराध अं० धारा– 420, 468, 471 भा.द.स.में दिनांक 31–10–2014 को आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्त द्वारा इंकार करते हुये विचारण की मांग की गयी।

अभियुक्त कपिल देव शर्मा के विरूद्ध अपराध अं० धारा– 420, 468, 471 भा.द.स.में दिनांक 07–12–2013 को आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्त द्वारा इंकार करते हुये विचारण की मांग की गयी तथा उपरोक्त दोनों वादों का विचारण एक साथ चला।

6. अभियोजन की ओर से उक्त मामले में कोई भी साक्ष्य परीक्षित नहीं कराया गया है। दिनांक 31–10–2014 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित होने के पश्चात से दिनांक 22–11–2023 तक अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 22–11–2023 द्वारा अभियोजन पक्ष को पूर्व में बार बार साक्ष्य का अवसर दिये जाने के कारण एवं अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अन्तिम अवसर दिये जाने तथा आदेश की एक प्रति संयुक्त अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय, बागपत तथा एक प्रति पुलिस अधीक्षक, बागपत को प्रेषित किये

जाने का आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 05–01–2024 द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. नियत की गयी। इसके पश्चात दिनांक 07–02–2024 को अभियुक्तगण के बयान अं०धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। इसके पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.स. दिनांकित 09–02–2024 अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू. – 1 अतुल कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी, पी.डब्लू. –2 विकासचन्द त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी, पी.डब्लू.–3 योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी क्षेत्रीय सचिव शिक्षाबोर्ड तथा पी.डब्लू. –4 विवेचक एस.आई. महेन्द्र सिंह को तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 27–02–2024 द्वारा स्वीकार किया गया तथा यह आदेश पारित किया कि अभियोजन साक्षीगण 1. अतुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी, 2. विकास चन्द त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी, 3. योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी, क्षेत्रीय सचिव शिक्षा बोर्ड, 4. विवेचक एस०आई० महेन्द्र सिंह मलिक को दिनांक 13–03–2024 के लिए सम्मन जारी हो। अभियोजन पक्ष साक्षीगण पर सम्मन पर तामीला का सुनिश्चित करके साक्षीगण की पहचान कराना सुनिश्चित करे तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 13–03–2024 को नियत की गयी।

7. इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 13–03–2024, 23–03–2024, 10–04–2024, 03–05–2024, 20–05–2024, 31–05–2024, 21–06–2024, 15–07–2024, 01–08–2024, 13–08–2024 को अभयोजन साक्ष्य हेतु जरिये सम्मन एन०बी०डब्लू० नियत की गयी।

दिनांक 23–08–2024 को अभियोजन साक्षी की अनुपस्थिति के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु तिथि 02–09–2024 को नियत की गयी।

दिनांक 02–09–2024 को पत्रावली पुनः दिनांक 04–09–2024 को बहस हेतु नियत की गयी। इसके पश्चात दिनांक 10–09–2024 को अभियोजन को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया तथा पत्रावली वास्ते अंतिम आदेश दिनांक 27–09–2024 को नियत की गयी।

8. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 27–09–2024 पारित करते हुए अभियुक्तगण को अपराध अं० धारा 420, 468, 471 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया गया, जिससे क्षुब्द्ध होकर प्रस्तुत फौजदारी अपील प्रस्तुत की गई है।

9. प्रस्तुत फौजदारी अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 27.09.2024 विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं स्वयं में भी विरोधाभाषी है। इस कारण प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 27.09.2024 अपास्त होने योग्य है, जिस कारण राज्य सरकार उ०प्र० को न्याय का घोर हनन हुआ है। अवर न्यायालय के द्वारा पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक

27.09.2024 अभियोजन कथानक के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए मनमाने ढंग से पारित किया गया है जोकि अपास्त होने योग्य है। मूल पत्रावली संलग्न क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ की आख्या संलग्न है, जिसमें परिषद के अभिलेखानुसार छात्र प्रमोद कुमार राणा अनुक्रमांक 171797 हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1985 में प्राप्तांक 256/600 अंकन प्राप्त कर अनुतीर्ण है। उक्त छात्र के परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सन्निरीक्षा के फलस्वरूप उतीर्ण होने के सम्बन्ध में परिषद कार्यालय के द्वारा पत्रांक हाईस्कूल दिनांक 24.05.1986 को निर्गत नही किया गया है। उक्त वर्णित पत्र फर्जी है। विकास चन्द त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी कैन्ट मेरठ की आख्या मूल पत्रावली में संलग्न है। आख्यानुसार क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ द्वारा अपने अभिलेख / 8703 दिनांक 12.10.2011 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमोद कुमार राणा सन्निरीक्षा के फलस्वरूप उतीर्ण नही हुआ है। दिनांक 24.05.1986 का पत्र परिषद द्वारा निर्गत नही किया गया है। अतः सम्पूर्ण प्रकरण में जांच के उपरान्त सम्बन्धित छात्र प्रमोद कुमार राणा तथा विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य कपिल देव शर्मा व लिपिक जगदेव सिंह वर्मा प्रथम दृष्टया दोषी है। दिनांक 25.01.2024 को अभियोजन अवसर समाप्त होने पर अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र अं०धारा-311 द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दिये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया तथा समन जारी करने हेतु आदेशित किया गया । अभियोजन पक्ष को ही साक्षीगण पर समन का तामीला सुनिश्चित कर साक्षीगण की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है। जबिक पत्रावली पर सभी गवाहों को सभी आदेशिका जारी नही की गई है तथा न ही पत्रावली पर आदेशिका की तामीला संलग्न है। जबकि आरोप पत्र के पृष्ठभाग पर साक्षीगण की सूची इसलिए अंकित की जाती है जिससे माननीय न्यायालय उक्त सभी साक्षीगण पर सभी उिचत आदेशिका जारी कर साक्षीगण को हाजिर अदालत तलब कर सकें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा State of UP Vs Babu 1991 में "Criminal P.C. Sec 242 and 87- Summons to witness- Police case- Application by prosecution for summoning witnesses-No steps taken by magistrate to issue summons to witnesses Acquittal on ground of want of evidence was invalid. The Magistrate cannot act in the arbitrary manner and acquit the accused on the ground of want of evidence. It is the duty of the magistrate to see that whether in compliance of the order passed by the court, summonses have been issued to the witnesses or not? Secondly, it is further duty of the court to see on the next date fixed that whether the summonses had been actually sent to the witnesses or not? and if, the summonses have been sent to the witneses then whether the said summonses have been served on the witnesses or not? If the magistrate comes to the conclusion that the summonses had already been sent but not served on the witnesses due to some technical defects, then he should direct the office to sent the summons again after removing the said defects. Lastly, if he comes to the

conclusion that the witnesses had failed to appear even after service of the summonses then, take resort of provision of sec 87 of Cr.P.C.. Without complying all the above, the magistrate cannot throw his responsibility and acquit the accused for want of evidence State of U.P. बनाम मतलबू 2013 All –साक्षियों पर बिना सारे प्रोसेस निर्गत किये मात्र समय के आधार पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त नहीं किया जा सकता है। Ramlal V. State of U.P. 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि– प्रकरण में सभी सुसंगत साक्षियों का साक्ष्यांकन नहीं हो पाया है, और न ही उनकी उपस्थिति हेतु उन पर सारे प्रोसेस ही निर्गत किये गये है। मामले के विधिपूर्ण विनिश्चय व ऋजुपूर्ण निस्तारण के लिये आवश्यक है कि सभी सुसंगत साक्षियों पर सारे प्रोसेस निर्गत किये जाये। जबकि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली में सभी सुसंगत साक्षियों को सभी प्रोसेस निर्गत नहीं किये गये है, न ही पत्रावली पर आदेशिका की तामीला संलग्न है, मात्र आर्डरशीट पर माननीय न्यायालय द्वारा अंकित कर दिया गया है कि साक्षियों पर एन०बी०डब्ल्यू० जारी किये जाये, किन्तु इसका उल्लेख दण्डिक नियमावली के भाग–3 के प्रस्तर 12 के रजिस्टर में थी पर्याप्त प्रोसेस / तामीला का विवरण नही है।

P. Ramachandra Rao V/s State of Karnataka (S.C) (Constitutional Bench) Criminal Appeal No. 535 of 2000, Accused is entitled to speedy trial, but no time limit can be prescribed to conclude trial as it amounts to judicial legislation which is not permissible Accused cannot be acquitted only on ground of delay in trial Court to decide whether delay becomes oppressive and unwarranted and deprived the right of speedy trial.

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27. 09.2024 अं०धारा – 420, 468, 471 भा०द०सं० में सम्पूर्ण दायित्व अभियोजन पर डालकर गम्भीर अपराध में अभियुक्तगण 1– कॉ0 प्रमोद कुमार राणा, 2–कपिल देव शर्मा को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि अभियोजन द्वारा अपने स्तर पर गवाह बुलाने हेतु काफी प्रयास किये गये, इस हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया। पत्रावली अत्यधिक प्राचीन भी नही है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचारण में विलम्ब के आधार पर अभियुक्तगण को मनमाने और अविधिक रूप से दोषमुक्त कर दिया गया, जिस कारण प्रश्नगत दोषमुक्ति निर्णय दिनाक 27.09.2024 विधिक और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय सी०जे० (जे०डि०)/एफ०टी०सी० कोर्ट सं0–4 जनपद बागपत का निर्णय दिनांक 27.02.2024 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

10. अपीलार्थी की ओर से अपील के स्तर पर कागज सं०– 4 ब/1 लगायत 4 ब/8 से आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 27–02–2024 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी, कागज सं०–5 ब/1 लगायत 5 ब/4 से अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट सं०–34/2012 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी, कागज सं०–6ब/1 लगायत 6ब/3 से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकि 27–02–2024 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी, कागज सं०–7ब/1 लगायत 7ब/2 से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा–311 दं०प्र०सं० दिनांकित 09–02–2024 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी, कागज सं०–8ब/1 लगायत 8ब/2 से अभियुक्त कां० 292 प्रमोद कुमार के विरूद्ध विरचित आरोप की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी, कागज सं०–9ब से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 27–02–2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रपत्र दाखिल किया गया, कागज सं०–14ब/1 प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी सं०–2 कपिल देव शर्मा की मृत्यु दिनांक 19–01–2026 को हो चुकी है तथा कागज सं०–14ब/2 विपक्षी कपिल देव शर्मा की मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति दाखिल की गयी।

11. विपक्षी सं०–1 की ओर से अपील के विरूद्ध आपत्ति कागज सं०–15ब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.09.2024 अपने अन्तर निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए वाद की समस्त तथ्यो की सम्पूर्ण विवेचना करने के पश्चात ही मारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में जिन तथ्यो का उल्लेख किया है, उन तथ्यो का विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.09.2024 से कोई विधिक सम्बन्ध वास्ता नही है। अपीलार्थी के द्वारा निर्णीत पत्रावली पर दिनांक 09.02.2024 को धारा 311 सी0 आर 0 पी0 सी0 का प्रार्थनापत्र विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थनापत्र अपीलार्थी द्वारा पत्रवली मे मात्र न्याय के उद्देश्य को विफल करने हेतु योजित किया गया था, क्योकि निर्णीत पत्रावली मे दिनांक 31.10.2014 को मान्य न्यायालय के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध आरोप पत्र विचरित किया गया था, परन्तु अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने गवाहो को मान्य न्यायालय मे परीक्षित नही कराया गया था। अपीलार्थी के गवाहो की लगातार अनुपस्थिति को आधार मानते हुए मान्य न्यायालय के द्वारा निर्णीत पत्रावली मे नामित गवाहो की काफी लम्बे समय तक प्रतिक्षा करने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2022 को उनके विरूद्व एन०बी०डब्लू० जारी किये गये थे और दिनांक 13.08.2022 को उक्त गवाहो के विरूद्व एन०बी०डब्लू० एवं धारा 350 सी०आर०पी०सी० का नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामील अपीलार्थी के गवाहो पर होने के बावजूद भी अपीलार्थी विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष नामित गवाहो को निर्णीत पत्रावली पर हाजिर करने मे असमर्थ रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गयी थी। अपीलार्थी के गवाहो की अनुपस्थिति तथा विद्वान अवर न्यायालय के आदेश की अवहेलना दिनांक 31.10.2014 से लगातार अपीलार्थी कर रहा था, जिसे पर्याप्त आधार मानते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की गवाही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिनांक 05.01.2024 को न्याय मे हो रही विफलता को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से समाप्त किया गया था ताकि पत्रावली का निस्तारण गुण एवं दोषो के आधार पर किया जा सके। अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी सं० 1 के विरूद्व उक्त

झूठा एवं मनघंडत तथ्यो के आधार पर थाना बिनौली पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा बनाया गया है, जिसमे विपक्षी सं० 1 को झूठा फंसाया और आरोप पत्र मे वर्णित सभी गवाहान विद्वान अवर न्यायालय के आदेश का पालन नही कर सके, क्योकि विपक्षी लम्बे समय से उक्त अपराध में फंसे होने के कारण अनुचित रूप से पीडित है, लेकिन अपीलार्थी स्थिति से भलीभांति परिचित होने के बावजूद भी उक्त पत्रावली का गुण व दोषो के आधार पर निस्तारण नही होने देना चाह रहा था। इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा अपनी लापरवाही के चलते विद्वान अवर न्यायालय के आदेश की अवहेलना लगातार की जा रही थी, जिस कारण दिनांक 05.01.2024 को विद्वान अवर न्यायालय मे अपीलार्थी का गवाह / साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया था। जिसके उपरान्त उक्त पत्रावली मे विपक्षी सं० 1 के ब्यानात धारा 313 सी0 आर 0 पी0 सी0 दर्ज करने हेतु दिनांक 07.02.2024 तिथि नियत कर दी गयी थी और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को विपक्षी के धारा 313 सी0 आर 0 पी0 सी0 के ब्यान दर्ज किये गये थे तथा इसके उपरान्त दिनांक 09.02.2024 को निर्णीत पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी, जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा नियत पत्रावली पर धारा 311 सी०आर०पी०सी० का प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया था, अपीलार्थी द्वारा धारा 311 सी०आर०पी०सी० का प्रार्थनापत्र साक्षीगण पी०डब्लू० 1 अतुल कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी, पी०डब्लू० 2 विकास चंद त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी, पी०डब्लू० 3 योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी क्षेत्रीय सचिव शिक्षा बोर्ड व पी०डब्लू० 4 विवेचक एस०आई० महेन्द्र सिंह को तलब किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, जिसमे विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2024 द्वारा स्वीकार किया गया था तथा पत्रावली पुनः साक्ष्य हेतु नियत की गयी थी। इसके पश्चात भी अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण आदेश दिनांक 10.09.2024 को पुनः अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। इसके पश्चात भी अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी का साक्ष्य का अवसर पुनः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया था तथा निर्णीत पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी थी। तदोपरान्त विपक्षी सं० 1 के अ०धारा 313 सी०आर०पी०सी० के ब्यान अंकित किये गये थे। अपीलार्थी द्वारा निर्णीत पत्रावली पर धारा 311 सी०आर०पी०सी० का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल न्याय के मॉर्ग को अवरूद्ध करना था, जिस कारण अपीलार्थी की अपील खण्डित होने योग्य है। विपक्षी सं० 1 एक वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जो कि पिछले कई वर्षो से चलने–फिरने में सक्षम नही है। विपक्षी सं० 1 एक वर्ष पूर्व लकवाग्रस्त हो गया था, जिसका ईलाज मैक्स हॉस्पिटल नोएडा मे चल रहा है, जिस कारण विपक्षी सं० 1 आज तक भी स्वंय चलने–फिरने मे सक्षम नही है, मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल प्रपत्र की छायाप्रति आपत्तिपत्र के साथ संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा मात्र विपक्षी सं० 1 को अनावश्यक रूप से तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अपील मान्य न्यायालय मे योजित की गयी है जो किसी भी दशा मे पत्रावली पर स्थिर रहने योग्य नही है तथा प्रत्येक दशा मे खण्डित होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.09.2024 पूर्णतया विधिसम्मत व कानून के प्रावधानो के अनुसार ही पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व तथ्यो का गहनता पूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात पारित

किया गया है जो स्थिर रहने योग्य है। प्रार्थना है कि उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील खण्डित की जावे।

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा विपक्षी सं०–1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावलियों का सम्यक परिशीलन किया गया।

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अपील में लिये गये आधारों की पुनावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन को अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई आख्या उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 27–02–2024 के आदेश के उपरान्त, जिसके द्वारा अभियोजन का प्रार्थनापत्र अं०धारा–311 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया था, अभियोजन साक्षीगण पर सम्मन, बी०डब्लू०, एन०बी०डब्लू० इत्यादि उचित रूप से तामील किये गये है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर जल्दबाजी में बिना बहस सुने गंभीर मामले में निर्णय पारित कर विपक्षीगण को दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की गयी है। प्रश्नगत निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत व विधि के प्रतिकूल है। अतः अपील स्वीकार की जाने की याचना की गयी है।

14. इसके विपरीत विपक्षी सं०–01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा उसके उपरान्त ही अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत न होने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनापत्र अं०धारा–311 दं०प्र०सं० स्वीकार होने के उपरान्त यह अभियोजन का दायित्व था कि वह अपने साक्षीगण को प्रस्तुत करें, परन्तु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अभियोजन के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थनापत्र अं०धारा–311 दं०प्र०सं० स्वीकार होने से पूर्व वर्ष 2014 से 2023 तक अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अभियोजन द्वारा अपने दायित्वों का स्वयं पालन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हेतु उपस्थित होना स्वयं का दायित्व था। अभियोजन पक्ष केवल चिरकाल तक अभियुक्त/विपक्षी सं०–01 को परेशान करना चाहते है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आलोच्य निर्णय व आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त/विपक्षी सं०–01 निर्दोष है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश व निर्णय विधि संगत है। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

15. प्रश्नगत फौजदारी अपील दोषमुक्ति के विरूद्ध धारा 372 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **खेमराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** (2018) 1 **एस.सी.सी.** 209 में यह स्पष्ट किया है कि अपीलीय न्यायालय के पास साक्ष्य के पुनर्विलोकन एवं पुनर्विश्लेषित करने का अधिकार है और वह विधि एवं तथ्य दोनों पहलुओं पर विचार कर सकती है। अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की उपधारणा आपराधिक विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के तहत है और दोषमुक्ति के उपरांत उस उपधारणा को बल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दो विभिन्न मत एक साक्ष्य पर उत्पन्न होते हैं तो अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए और विचारण न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल निष्कर्ष हेतु उसे विश्वसनीय कारण दर्शित करना होगा। उपरोक्त विधिक सिद्धांत की पुष्टि माननीय न्यायालय ने विधि व्यवस्था श्याम लाल बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2019 सुप्रीम कोर्ट 1898 एवं मध्यप्रदेश राज्य बनाम चकहई लाल ए०आई०आर० 2019 सुप्रीम कोर्ट 381 में किया है।

16. उल्लेखनीय है कि सम्मानित विधि व्यवस्था गोविन्दराम बनाम स्टेट आफ यू०पी० (1999) 2 फेमी ज्यूरिस सीसी 140, स्टेट आफ यू०पी० बनाम मतलूब 2013 एसीसी, के मामले में माननीय न्यायालय ने यह वर्णित किया है कि साक्षी को न्यायालय में किस प्रकार से उपसंजात किया जा सकता है, लेकिन उसी निर्णय में यह वर्णित है कि अभियोजन के द्वारा धारा–242 दं०प्र०सं० के तहत साक्षी को तलब करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और तब न्यायालय समन से लेकर गैर–जमानतीय अधिपत्र तक निर्गत कर सकती है और यदि अभियोजन असफल रहता है तब साक्षी को तलब करने का दायित्व न्यायालय का है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था P.Nalla Thampi vs U.O.I A.I.R.1985 SC 1133 में कहा है कि 'Right to life includes all the finer graces of human civilization' जिसके अन्तर्गत विधि व्यवस्थाः– Common Cause Laws vs U.O.I A.I.R.1996 SC 1619 के अनुसार 'Right to speedy trial' त्वरित विचारण का अधिकार भी आता है। विधि व्यवस्थाः State of Haryana vs Ram Mehar (2016) 8 SCC 762 में कहा है कि The concept of fair trial can not be allowed to such an extent so that systematic order of conducting a trial in accordance with Cr.P.C. or other enactments get mortgaged to the whims and fancies of the defence or the prosecution. The command of the code can not be thrown to winds. A plea of fairness can not be utilized to built castle in Spain or permitted to perceive a bright moon in a sunny afternoon. It can not be acquiesced to create an organic disorder in the system. It can not be acceded to manure a fertile mind to usher in the nemesis of the concept of trial as such.

18. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के आधार के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में अपने दायित्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि अभियोजन द्वारा अपने स्तर पर गवाह बुलाने हेतु काफी प्रयास किये गये, इस हेतु पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया तथा सभी अभियोजन साक्षियों पर आदेशिका जारी नहीं की गयी तथा न ही पत्रावली पर आदेशिका की तामीला संलग्न है।

19. यह उल्लेखनीय है कि न्यायिक प्रक्रिया की संपूर्ण कमान मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश के हाथ में होता है लेकिन आपराधिक न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी संबंधित की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें पुलिस, अभियोजन, अधिवक्ता, साक्षी एवं न्यायालय सम्मिलित हैं। वारण्ट ट्रायल जो कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, उसमें धारा– 242 दं०प्र०सं० के अनुसार आरोप विरचन के उपरांत जब अभियुक्त दोषी अभिवचन करने से इंकार करता है, तब उसके विरूद्ध साक्ष्य की कार्यवाही प्रारंभ होती है और मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत की जाती है और उपखण्ड–2 में यह उल्लिखित है कि मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है और उपखण्ड–3 में उल्लिखित है कि मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य 2002 (44) ए०सी०सी० 1025 सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विचारण के दौरान विवेचक की उपस्थिति अनिवार्य है और उसका दायित्व है कि वह अभियोजन साक्षी को प्रस्तुत करे और उसकी अनुपस्थिति में थाने के भारसाधक अधिकारी का दायित्व है कि वह साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य (1998) 7 एस०सी०सी० पेज 507 एवं पश्चात्वर्ती विधि व्यवस्था राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य (1999) 17 एस०सी०सी० पेज 604 में यह निर्देशित किया है कि सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय मुकदमों में आरोप विरचन के दो वर्ष के पश्चात् साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जा सकता है और सात वर्ष से अधिक दण्डनीय मामलों में तीन वर्ष के पश्चात् साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था पी० रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस०सी०सी० 578 में यह कहा है कि समय का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं है और समन के तामीला न कराने के लिए पुलिस के द्वारा दिए गए कारण की पुलिस बल की कमी अथवा वी०आई०पी० डयूटी में व्यस्तता अथवा कानून व्यवस्था डयूटी को पर्याप्त नहीं माना है और साक्षी के उपस्थित रहने पर आपवादिक स्थिति में ही स्थगन को मंजूरी प्रदान किया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था अमीर हैदर बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांकित 29.03.2013 डब्लू.डब्लू.डब्लू. इण्डियनकानून. ऑर्ग में उपरोक्त उल्लिखित विधिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए साक्षी की उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए प्रक्रिया वर्णित किया गया है, जिसमें यह निर्देशित है कि समन को अभियोजन के आवेदन पर निर्गत किया जाए और उसे तामीला हेतु संबंधित थानाध्यक्ष और समन

सेल को दिया जाए और यदि समन के तामीला के उपरांत साक्षी उपस्थित नहीं होता है तो जमानतीय और गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जाए तथा पुलिस के साक्षियों के संदर्भ में धारा–350 दं०प्र०सं० की नोटिस भी निर्गत की जाए। यदि उपरोक्त के पश्चात् भी साक्षी उपस्थित नहीं होते हैं तो पुलिस अधीक्षक और अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, अभियोजन को पत्र प्रेषित करना चाहिए और यदि फिर भी साक्षी उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय हर्जा अधिरोपित कर सकती है एवं साक्ष्य का अवसर समाप्त कर सकती है। माननीय न्यायालय ने यह भी वर्णित किया है कि मुकदमे की कार्यवाही अभियोजन अधिकारी अथवा बचाव पक्ष के आवेदन पर ही स्थगित की जानी चाहिए। साक्ष्य का अवसर समाप्त होने के उपरांत यदि अभियोजन द्वारा धारा–311 दं०प्र०सं० के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट नियमानुसार अपनी विवेकिय शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

20. यह कि प्रश्नगत फौजदारी वादों में दिनांक 10–05–2012 तथा 05–07–2012 को प्रसंज्ञान लिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा–311 दं०प्र०सं० आदेश दिनांकित 27–02–2024 को स्वीकार होने के उपरांत पत्रावली में दिनांक 13–03–2024, 23–03–2024, 10–04–2024, 03–05–2024, 20–05–2024, 31–05–2024, 21–06–2024, 15–07–2024, 01–08–2024, 13–08–2024 अभयोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी। दिनांक 23–08–2024 को अभियोजन साक्षी की अनुपस्थिति के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु तिथि 02–09–2024 को नियत की गयी। दिनांक 02–09–2024 को पत्रावली पुनः दिनांक 04–09–2024 को बहस हेतु नियत की गयी। इसके पश्चात दिनांक 10–09–2024 को अभियोजन को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 27–09–2024 को उक्त वादों में अंतिम निर्णय व आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियोजन का अंतिम बहस का अवसर कब समाप्त किया गया तथा यह परिलक्षित होता है कि बिना बहस सुने ही दिनांक 27–09–2024 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए विपक्षीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया। विद्वान विचारण न्यायालय की तलब शुदा पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 23–08–2024 को अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने के उपरांत अभियोजन द्वारा साक्षीगण को तलब करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

21. उल्लेखनीय है कि साक्षी को तलब करने हेतु समन बनाने का दायित्व अभियोजन के निर्देश पर थाने के पैरोकार का है, लेकिन पैरोकार द्वारा आदेशिका बनाया गया अथवा नहीं, इसे अभियोजन द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है। आदेश दिनांकित 27–02–2024 के उपरांत पत्रावली पर ऐसी कोई भी न्यायालय द्वारा निर्गत साक्षी समन अथवा साक्षी को जारी गैर–जमानतीय अधिपत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि ऐसी कोई आदेशिका साक्षी को निर्गत की गई और वह तामील अथवा अदम

तामील पुलिस प्राधिकारी द्वारा वापस की गई। ऐसे किसी साक्षी समन व वारण्ट के तामील अथवा अदम तामील होने का उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध किसी आदेश पत्र पर भी नहीं है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था रघुवंश दिवान भसीमचन्द्र बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (75) ए.सी.सी. 574 में उल्लिखित किया है कि न्यायालय द्वारा निर्गत गैर–जमानतीय अधिपत्र को तामील अथवा अदम तामील नियत तिथि तक वापस प्राप्त कराया जायेगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने परिपत्र संख्या–9950/एडमिन जी 2 दिनांकित 13.07.2018 निर्गत किया है, जिसमें यह निर्देशित है कि यदि पुलिस कर्मचारियों द्वारा न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा प्रपत्र संख्या 27/18 दिनांकित 06.06.2018 के द्वारा प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को गैर–जमानतीय अधिपत्र के विधिनुसार निष्पादन का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सभी पुलिस अधिकारियों को विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत समन तथा विभिन्न प्रपीडात्मक आदेशिकाओं के शीघ्र तामीला तथा निष्पादन संबंधित नीति के संबंध में निर्देश दिनांकित 14.10.2023 निर्गत किया गया है और पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ने भी समस्त पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र संख्या डी.जी.7–एच.सी. विविध निर्देश/2023 दिनांकित 12.07.2023 निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त के बावजूद भी विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा भी अपने पदीय दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया है। पूरी पत्रावली में आदेश दिनांकित 27–02–2024 के उपरान्त से उनके द्वारा किसी भी साक्षी को उपस्थित कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही साक्षी के अनुपस्थित रहने पर कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है और साक्ष्य का अवसर समाप्त हो जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी पत्रावली के विधिनुसार निस्तारण हेतु विधिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। निश्चित रूप से उक्त दोनों वाद वर्ष 2016 के हैं और वाद की प्राचीनता को दृष्टिगत रखते हुए प्राचीन वादों के निस्तारण का दायित्व विद्वान मजिस्ट्रेट का है। यह भी सही है कि वाद का शीघ्र निस्तारण होना अभियुक्त का अधिकार है। किन्तु मात्र वाद की प्राचीनता के आधार पर अथवा शीघ्र निस्तारण के क्रम में विधिक प्रक्रिया का सम्यक पालन न किया जाना कदाचित विधि की मंशा नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत पीड़ित पक्ष को भी उसका पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मामला राज्य वाद का होने के कारण अभियोजन द्वारा संचालित रहा है। किन्तु मामले के गुण–अवगुण पर निस्तारण हेतु साक्षियों को प्रस्तुत किये जाने में विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा सम्यक तत्परता नहीं बरती गई है। पत्रावली को यथाशीघ्र निस्तारित करने में माननीय न्यायालयों के विधिक सिद्धांतों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया है।

23. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यथोचित प्रक्रिया का अनुसरण विचारण पूर्ण करने में नहीं किया गया है। अपील में वर्णित आधार स्वीकार किए जाने

योग्य हैं। चूँकि निर्णय बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है, अतः खण्डित किए जाने योग्य है और पत्रावली विचारण हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक वाद संख्या–1302/2016 तथा 1303/2016 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 27–09–2024 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए शीघ्रतापूर्वक साक्ष्य हेतु विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण कर मामले का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपीलार्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु नियत प्रत्येक दिनांक को अभियोजन साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इस क्रम में अपीलार्थी दिनांक 29–07–2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

इस निर्णय की एक प्रति मय संबंधित पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांकः 30–06–2026

(नीरू शर्मा),
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०–01,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 30–06–2026

(नीरू शर्मा),
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०–01,
बागपत।